

२२/१२/२६

पत्रावली पेश हुई। कई बार आवाज लगी  
लगी। वादी वकील व वादी अनुपास्थित।

अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैर  
में खारिज की जाती है। पत्रावली जैशाल  
शुमार होकर नंबर से कम होकर काटिल  
दफ्तर हो

१५/११/२६  
उपखण्ड अधिकारी  
करोली (राज०)